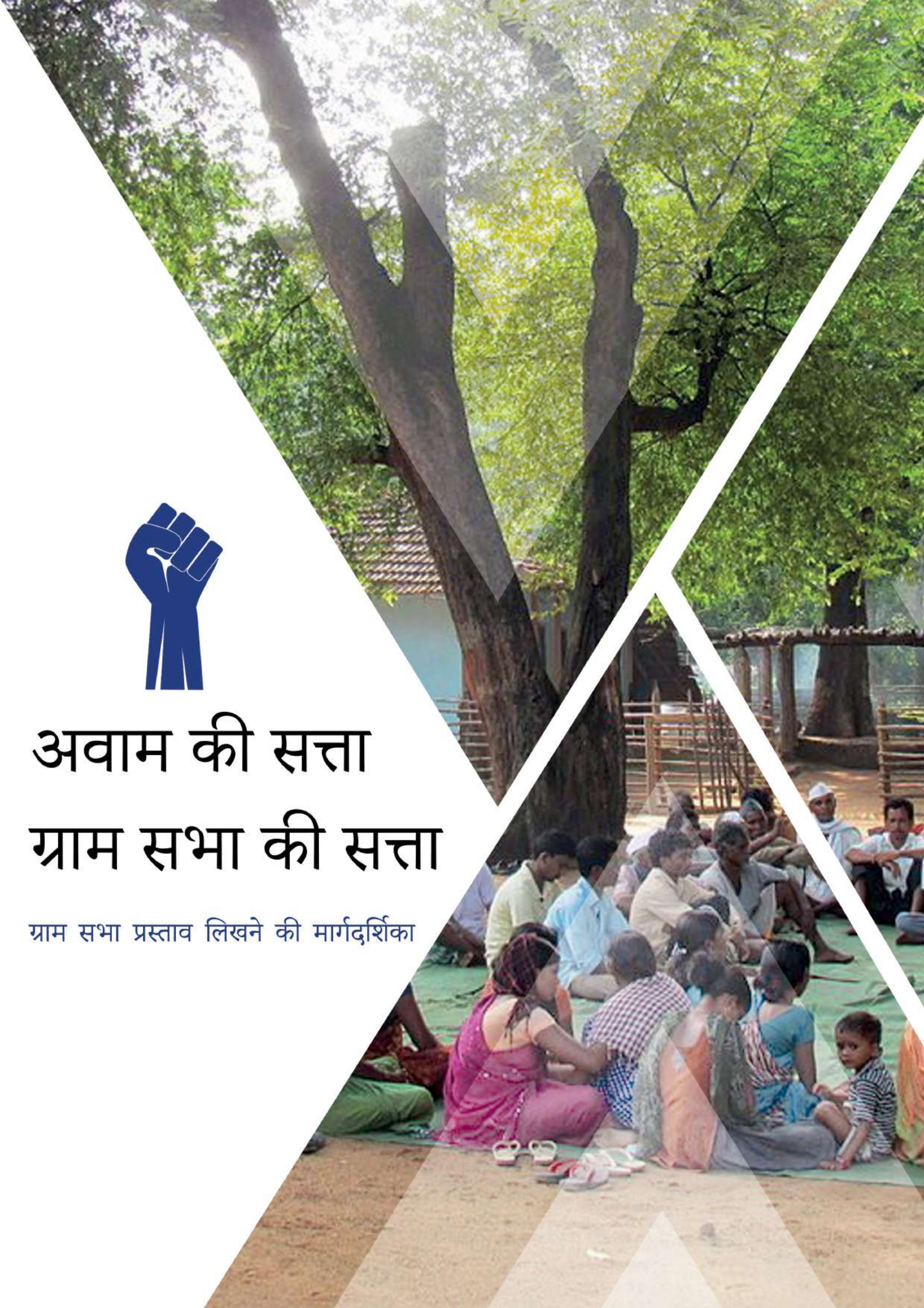

अवाम की सत्ता
ग्राम सभा की सत्ता

ग्राम सभा प्रस्ताव लिखने की मार्गदर्शिका

हार्लेम

लैंगस्टन ह्यूज़

एक अधूरे सपने का क्या होता है?

क्या वो सूख जाता है
धूप में किशमिश की तरह?
या किसी खुले घाव की तरह –
पस से भरा, पकता है?
क्या वो सड़े हुए माँस-सा बजबजाता है?
या पपड़ी बन जाता है
पुरानी चाशनी की तरह?

शायद चुपचाप किसी भारी बोझ की तरह
वो सिर्फ लटकता है

या बम-सा फटता है?

(अनुवाद – अखिल कत्याल)

लेखन सहयोग

लेखन : संघमित्रा दुबे और पूजा

संपादक : शोमोना खन्ना

ट्रांसलेटर : ध्रुव नारायण

प्रस्तुति : लीगल रिसोर्स सेंटर, दिल्ली

प्रकाशक : लीगल रिसोर्स सेंटर, दिल्ली और वसुंधरा, ओडिशा

आवरण : फ्रीपिक

© लीगल रिसोर्स सेंटर, दिल्ली, 2020

आभार

हम लीगल रिसोर्स सेंटर (LRC) और वसुंधरा के तहेदिल से आभारी हैं कि उन्होंने समुदाय के लिए इस टूलकिट (toolkit) के महत्त्व को समझते हुए इसके प्रकाशन में भरपूर सहयोग किया । सबसे बड़ी बात यह है कि शोमोना खन्ना ने जिस गर्मजोशी और ख़ुशी से हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं । उन्होंने न सिर्फ़ विधि संबंधी मुद्दों को समझने में हमारी मदद की, अपितु "विधि के मूलतत्त्व को आम लोगों की भाषा में रख पाने" की हमारी क्षमता को भी निखारा । हमारे साथ काम के दौरान उन्होंने हमेशा धैर्य बनाए रखा, हालाँकि इस टूलकिट (toolkit) को तैयार करने और लिखने में काफ़ी समय लगा ।

हम श्री तुषार दास के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी उनके आभारी हैं । उन्होंने शुरुआत से ही इस टूलकिट की अवधारणा बनाने से लेकर हर मौक़े पर हमारी मदद की । अंत में, हम आदिवासियों और वन निवासियों, स्थानीय कार्यकर्ताओं, ज़मीनी स्तर पर काम करनेवाले वकीलों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें हकों का दावा करने और न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित करने के महत्त्व को समझाया । उनके सहयोग के बिना यह टूलकिट (toolkit) संभव ही नहीं हो पाता ।

संघमित्रा दुबे और पूजा
लीगल रिसोर्स सेंटर, दिल्ली
जून, 2020

शब्द संक्षेप (एक्रोनिम)

सीएफ़ :	सहायक वन संरक्षक
कैंपा :	प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016
कोविड-19 :	कोरोना वायरस बीमारी - 2019
सीएफ़आर :	सामुदायिक वन अधिकार
सीएफ़आरआर :	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
डीसी :	ज़िला कलक्टर
डीएलसी :	ज़िलास्तरीय कमिटी
वन अधिकार क़ानून :	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
एफ़आरसी :	वन अधिकार कमिटी
एफ़डी :	वन विभाग
जीएस :	ग्राम सभा
आईपीसी :	भारतीय दंड संहिता, 1860
आईटीडीए :	समेकित जनजाति विकास एजेंसी
मोटा :	जनजाति कार्य मंत्रालय
एमएचए :	गृह मंत्रालय
पीए :	परियोजना पदाधिकारी
पेसा :	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996
पीओए :	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम. 1989
एसएलडीसी :	अनुमंडल स्तरीय समिति
एसएलएमसी :	राज्यस्तरीय निगरानी समिति
डब्ल्यूईओ :	कल्याण विस्तार अधिकारी
व्हीएलडब्ल्यू :	ग्रामस्तर कर्मी

"हम भारत के लोग" कैसे अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए ?

जबसे कोविड-19 की महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में छा गया है, तबसे हमारी ज़िंदगी ज़्यादा-से-ज़्यादा अस्थिर और अप्रत्याशित बन गई है । इस महामारी का असर हाशिए के समुदायों के लिए ख़ास तौर पर कठोर रहा है। नतीजतन, उनके जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है । इस बीच कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भारत में खनन, वन भूमि का डायवर्सन (diversion), प्रतिपूरक वनीकरण ¼Compensatory Afforestation½, लैंड बैंक ¼Land Bank½ इत्यादि क़ानूनों में जिस तरह के क़ानूनी बदलाव आए हैं, उनसे अंततः जनतांत्रिक आधार का क्षरण होगा और ग्राम सभाओं के अधिकार और कम हो जाएँगे । मीडिया में लगातार ख़बरें आ रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान वन अधिकार अधिनियम, 2006 (LRC) का उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है । ऐसे मामलों में कई गुणा की बढ़ोतरी हुई है, ख़ासकर वन विभाग के द्वारा । आदिवासियों और वन निवासियों के संवैधानिक अधिकारों का ऐसा उल्लंघन और ग्राम सभाओं की शक्तियों को छीने जाने को क़ानूनी तौर पर चुनौती देना ज़रूरी है । सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि ग्राम सभाओं की शक्तियों को बहाल रखा जाए । ग्राम सभाएँ इन उल्लंघनों की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती हैं, और नौकरशाही अमलातंत्र को इन उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कर सकती हैं और पदाधिकारियों को जवाबदेह बना सकती हैं ।

इस संदर्भ में ग्राम सभा के प्रस्ताव का एक प्रारूप (sample) **अनुलग्नक** I में दिया गया है । ग्राम सभाएँ इसका इस्तेमाल कर जंगल अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्रस्ताव तैयार कर सकती हैं । इस प्रारूप में हमने एकरंगी वृक्षारोपण (Monoculture tree plantation) को उदाहरण के बतौर लिया है । बहरहाल, अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में मुद्दे अलग हो सकते हैं । प्रस्तावित प्रारूप (sample) को तथ्यों और ज़मीनी हालात के मुताबिक बदला जा सकता है ।

मिसाल के तौर पर, अगर मुद्दा वनोपजों के संग्रह से संबंधित हो या खनन उद्योग के लिए वन भूमि के किसी और काम के लिए इस्तेमाल के मामले में ग्राम सभा की रज़ामंदी की अनदेखी से जुड़ा हो, तो लेखन और पेसा और वन अधिकार क़ानून से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों के इस्तेमाल में बदलाव लाया जा सकता है । इसी तरह, ध्यान रहे कि इस प्रारूप (sample) को अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में तैयार किया गया है । अगर कोई ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में न हो, तो प्रारूप (sample) में से संविधान की पाँचवीं अनुसूची और पेसा, 1996 के हवाले को हटाया जा सकता है, हालाँकि अन्य तमाम क़ानूनों का संदर्भ बरक़रार रखा जा सकता है ।

हमने प्रस्ताव को संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए अग्रसारित करते वक्त साथ भेजी जानेवाली चिट्ठी का भी एक प्रारूप (sample) तैयार किया है (देखें **अनुलग्नक** II) । प्रस्ताव को अग्रसारित करते वक्त साथ भेजी जानेवाली चिट्ठी के प्रारूप (sample) में वन अधिकार क़ानून की धारा 8 में दी गई नोटिस के फ़ॉर्मेट को ध्यान में रखा गया है। संदर्भ और उल्लंघन की प्रकृति को देखते हुए इसमें भी परिवर्तन किए जा सकते हैं ।

अनुलग्नक III में हमने उन संभावित क़ानूनी प्रावधानों की एक समग्र सूची दी है, जिनका इस्तेमाल अलग-अलग परिस्थिति के मुताबिक जैसा ज़रूरी हो किया जा सकता है । यह सूची प्रस्ताव तैयार करते समय मददगार हो सकती है, क्योंकि उसमें उन प्रावधानों का हवाला दिया गया है, जो वन अधिकार क़ानून और पेसा के तहत आदिवासियों और वन निवासियों समुदायों के अधिकारों के साथ-साथ ग्राम सभा के हक़ों से संबंधित हैं ।

अनुलग्नक IV में ग्राम सभा से प्रस्ताव, ख़ासकर वन अधिकार क़ानून के उल्लंघन के मामले से संबंधित प्रस्ताव पारित कराने के समय ध्यान में रखी जानेवाली कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बातों से संबंधित सलाह दिए गए हैं ।

अनुलग्नक I

ग्राम सभा का प्रस्ताव कैसे लिखें

दिनांक :.....

स्थान :.....

विषय :वन विभाग के अधिकारियों [*] द्वारा (स्थान का उल्लेख करें) में कराए गए ग़ैरक़ानूनी [*] वृक्षारोपण को बारे में ग्राम सभा का प्रस्ताव

हम सभी [*] गाँव, [*] पंचायत, [*] ब्लॉक, [*] ज़िला की ग्राम सभा के सदस्य हैं । ग्राम सभा की यह बैठक [*] DD/MM/YYYY (दिनांक लिखें) को [*] (जगह / स्थान / गाँव का नाम) पर ग्राम सभा के [*] सदस्यों (उपस्थित लोगों की संख्या बताएँ जो समुचित कोरम को पूरा करते हों) की उपस्थिति में हुई, जिसमें [*] (संख्या दर्ज करें) औरतें भी मौजूद थीं । ग्राम सभा की यह बैठक वन विभाग द्वारा कराए गए ग़ैरक़ानूनी [*] वृक्षारोपण के विशेष पर चर्चा के लिए बुलाई गई है ।

हमने वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत अपने व्यक्तिगत वन अधिकारों की स्वीकृति के लिए अपना दावा साल YYYY में पेश किया था, जिसको वन अधिकार कानून, 2006 के अंर्तगत मान्यता साल YYYY में मिली । हमने सामुदायिक वन अधिकार के लिए भी अपना दावा साल YYYY में पेश किया था। सामुदायिक वन अधिकार का दावा अब भी एसडीएलसी / डीएलसी के सामने अंतिम फ़ैसले के लिए लंबित हैं । हम अपनी आजीविका के लिए सामुदायिक वन भूमि से मिलनेवाले लघु वनोपजों और अन्य बहुमूल्य संसाधनों (जैसे कि, औषधीय पादपों) पर आश्रित हैं। इसके साथ ही, जंगल हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान और ज़िंदगी का अनिवार्य अंग हैं ।

दिनांक DD/MM/YYYY (तिथि लिखें) को वन विभाग के अधिकारियों ने हमारे ग्राम सभा के इलाके में पड़नेवाली हमारे सामुदायिक वन भूमि की खुदाई शुरू कर दी । जब हमने उनसे इस खुदाई का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस ज़मीन का इस्तेमाल पेड़ लगाने के लिए किया जाएगा ।

[*] (इसके अलावा यदि और कोई जानकारी उपलब्ध हो, तो उसका भी उल्लेख करें, जैसे कि उस अधिकारी का नाम, जिसने यह कहा आदि । ख़ासकर यदि हिंसा की धमकी दी गई हो, मौखिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, शारीरिक या यौन हिंसा की गई हो या धमकी दी गई हो, तो उसका उल्लेख अवश्य करें ।)

इस वृक्षारोपण के लिए ग्राम सभा से कोई रज़ामंदी नहीं ली गई, इसलिए यह संविधान की पाँचवीं अनुसूची, पेसा, 1996 और वन अधिकार क़ानून, 2006 का खुला उल्लंघन है । वन विभाग के संबंधित अधिकारियों पर अत्याचार निवारण क़ानून, 1989 के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए, और, साथ ही सामुदायिक वन भूमि और संसाधन पर ग़ैरक़ानूनी वृक्षारोपण, बलप्रयोग और हमारे ग्राम सभा के सदस्यों के मौखिक अपमान के लिए उनके ख़िलाफ़ आईपीसी की धाराओं के तहत भी मुकदमा दायर किया जाना चाहिए । ग्राम सभा की राय है कि वन विभाग के इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ संबंधित क़ानूनों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए , जैसे - वन अधिकार क़ानून, 2006 की धारा 7 और 8 और अत्याचार निवारण क़ानून, 1989 की धारा 3 के तहत ।

इसलिए, यह ग्राम सभा यह प्रस्ताव लेती है कि वन विभाग द्वारा इस ग़ैरक़ानूनी वृक्षारोपण और वन अधिकार क़ानून के तहत अधिकार-धारकों के हक़ों के उल्लंघन पर तुरंत रोक लगाई जाए । अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्राम सभा हर तरह के ज़रूरी क़ानूनी क़दम उठाएगी । वह संबद्ध अधिकारियों के ख़िलाफ़ अत्याचार निवारण क़ानून, 1989 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराएगी । ग्राम सभा ने राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी (एसएलएमसी) को नोटिस देने का तय किया है कि वह वन अधिकार क़ानून, 2006 की धारा 8 और वन अधिकार नियमावली, 2008 के नियम 10 (घ) के तहत वन विभाग के अधिकारियों के ख़िलाफ़ तफ़्तीश करे ।

ग्राम सभा ने यह भी तय किया है कि इस प्रस्ताव की कॉपी राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी को, माननीय राज्यपाल के दफ़्तर को, ज़िला कलक्टर [*] (ज़िला का नाम लिखें) को, वन विभाग के सहायक वन संरक्षक को, परियोजना पदाधिकारी – समेकित जनजाति विकास एजेंसी को, कल्याण विस्तार पदाधिकारी (डब्ल्यूईओ) को, ग्रामस्तरीय कर्मी (व्हीएलडब्ल्यू) को, भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को, और जनजाति विभाग के सचिव, ओडिशा सरकार को भी भेजी जाए । उनसे अनुरोध किया जाए कि वे ग़ैरक़ानूनी वृक्षारोपण को रोकने के लिए अपने स्तर पर कार्रवाई करें और इस ग़ैरक़ानूनी काम के लिए ज़िम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों के ख़िलाफ़ ज़रूरी अनुशासनात्मक क़दम उठाएँ ।

बैठक में शामिल और वोट करनेवाले ग्राम सभा सदस्यों का नाम और हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

१

२

३

नोट 1 : ग्राम सभा की यह बैठक गृह कार्य मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के बारे में तय मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार बुलाई गई है, जैसे कि मुँह और नाक को ढँकने के लिए मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज़ करना ।

नोट 2 : प्रतीक चिह्नों और आशु-लिपि (शार्ट हैंड) के इस्तेमाल के संबंध में स्पष्टीकरण :

- [*] का मतलब है खाली जगह जहाँ ख़ास मामले या घटना का विवरण दिया जा सकता है ।
- जहाँ DD/MM/YYYY दिनांक लिखा है और स्पेस छौड़ा हुआ है वहाँ निश्चित तारीख़ डालें, तारीख़, महीना और साल क्रम से ।
- जहाँ YYYY साल / वर्ष लिख कर स्पेस छोड़ा गया है वहाँ निश्चित वर्ष की संख्या डालें ।

****

अनुलग्नक II

कवरिंग (Covering) लेटर कैसे लिखें

दिनांक :.....

स्थान :.....

सेवा में,
मुख्य सचिव-सह-चेयरमैन
राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी
[शहर, राज्य]

विषय :अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) की धारा 7 के तहत किए गए उल्लंघन के ख़िलाफ़ राज्यस्तरीय निगरानी समिति को धारा 8 के तहत जाँच-पड़ताल शुरू करने के लिए जारी की जानेवाली नोटिस ।

प्रिय महोदय / महोदया,

हम अधोहस्ताक्षरी (undersigned) [*] (ग्राम सभा का नाम / गाँव के नाम का उल्लेख करें) ग्राम सभा की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं । ग्राम सभा ने दिनांक DD/MM/YYYY [*] को इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था (ग्राम सभा के प्रस्ताव की कॉपी अनुलग्नक I के रूप में नोटिस के साथ संलग्न करें) । ग्राम सभा बड़ी चिंता और शिकायत के साथ अपका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहती है, इसमें आपके फौरी हस्तक्षेप और कार्रवाई की ज़रूरत है ।

[*] (घटना / स्थिति का संक्षेप में वर्णन करें)

संबंधित अधिकारी [*] (पदाधिकारी का नाम, पद और विभाग का विवरण दें) के क्रियाकलाप संविधान की पाँचवीं अनुसूची, पेसा क़ानून, 1996, वन अधिकार क़ानून 2006 की धारा 7, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 (एस / एसटी क़ानून, 1989) की धारा 3 के ख़िलाफ़ हैं । साथ ही, उनके क्रियाकलाप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य क़ानूनों का भी उल्लंघन करते हैं । [*] (ज़्यादा विस्तार के लिए अनुलग्नक III में दिए गए वन अधिकार क़ानून, पेसा और पीओए यानी एस / एसटी क़ानून के अंशों को देखें) ।

इसलिए राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी को वन अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत 60 (साठ) दिनों की नोटिस दी जाती है कि वह ऊपर वर्णित अधिकारी के कृत्य, जो वन अधिकार क़ानून की धारा 7 के मुताबिक वन अधिकार क़ानून और नियमावली और संविधान के विभिन्न प्रावधानों और अन्य क़ानूनों के तहत वन अधिकारों के उल्लंघन अपराध हैं, उनका संज्ञान ले और संबद्ध विभागीय पदाधिकारी [*] (उस अधिकारी के नाम और विभाग का उल्लेख करें) के क्रियाकलापों की जाँच-पड़ताल कराए ।

हस्ताक्षर :

1. ग्राम सभा का प्रमुख
2. वन अधिकार समिति का सचिव
3. अन्य कोई सदस्य (नौजवान सभा का अध्यक्ष, महिला समिति की अध्यक्ष आदि)

कॉपी भेजी गई :

1. राज्यस्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी),
2. माननीय राज्यपाल का दफ़्तर,
3. ज़िला कलक्टर (डीसी),
4. सहायक वन संरक्षक, वन विभाग (एसीएफ़, एफ़डी),
5. परियोजना पदाधिकारी – समेकित जनजाति विकास एजेंसी (पीए-आईटीडीए),
6. कल्याण विस्तार पदाधिकारी (डब्ल्यूईओ),
7. ग्रामस्तरीय कर्मी (व्हीएलडब्ल्यू),
8. जनजाति कार्य मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार,
9. सचिव, जनजाति विभाग, ओडिशा सरकार

नोट : प्रतीक चिह्नों और आशु-लिपि (शार्ट हैंड) के इस्तेमाल के संबंध में स्पष्टीकरण :

- [*] का मतलब है खाली जगह जहाँ ख़ास मामले या घटना का विवरण दिया जा सकता है।
- जहाँ DD/MM/YYYY दिनांक लिखा है और स्पेस छौड़ा हुआ है वहाँ निश्चित तारीख़ डालें, तारीख़, महीना और साल क्रम से ।
- जहाँ YYYY साल / वर्ष लिख कर स्पेस छोड़ा गया है वहाँ निश्चित वर्ष की संख्या डालें ।

****

अनुलग्नक III

एफ़आरए और पेसा के अंश

क. वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफ़आरए)

1. वनों की सुरक्षा, पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार और ज़िम्मेदारी

क) **वन अधिकार क़ानून की प्रस्तावना** वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देती है और "जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना" की ज़िम्मेदारी उनपर डालती है, "जिससे संरक्षण के प्रयास सुदृढ़ हों" । साथ ही, वह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों की जीविका और खाद्य सुरक्षा को समुदाय आधारित संरक्षण व्यवस्था में सम्मिलित मानती है । वह स्वीकार करती है कि अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी वन पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं ।

ख) **धारा 3(1)(झ)** ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार देती है जिसकी वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं ।

ग) **धारा 3(1)(ट)** जैवविविधता तक पहुँच और जैवविविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार देती है ।

घ) धारा 5 सामुदायिक वन अधिकारों के तहत जैवविविधता, कुदरती संसाधनों, वन्यजीवों और पानी के श्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में ग्राम सभा की शक्तियों और ज़िम्मेदारी को सुनिश्चित करती है । साथ ही, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन का भी प्रावधान करती है । और वैसी सभी गतिविधियों पर रोक लगाती है जिनसे इन संसाधनों को नुकसान होता है ।

ङ) नियम 4(1)(ङ) ग्राम सभा को यह शक्ति देती है कि वह वन्यजीवों, वन और जैवविविधता की संरक्षा के लिए समितियों का गठन करे ।

च) नियम 4(1)(च) ग्राम सभा को उन समितियों की निगरानी और नियंत्रण की शक्ति देती है जिन्हें उसने सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजना बनाने का ज़िम्मा सौंपा है । ग्राम सभा को यह भी अधिकार है कि वह इन योजनाओं को वन विभाग की कार्ययोजना के साथ एकीकृत कर योजना में सुधार करे ।

2. वन भूमि के अन्य इस्तेमाल के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति, पट्टा देने का अधिकार और उसकी रज़ामंदी

क) वन अधिकार क़ानून की प्रस्तावना, क़ानून बनाए जाने और उस पर अमल के पीछे की मंशा को उजागर करती है । उसका मकसद है आदिवासियों और अन्य वन निवासी समुदायों के ख़िलाफ़ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना । इसके लिए वनों में रह रहे समुदायों, जिनके अधिकारों को कभी मान्यता नहीं दी गई, उन्हें क़ानूनी मान्यता दी जाए । यह क़ानून स्वीकार करता है कि वन निवासियों के साथ अन्याय हुआ है और यह अन्याय आज भी जारी है क्योंकि उनके हक़ों को क़ानूनी मान्यता नहीं दी गई है और उन्हें इसे सौंपा नहीं गया है, इसलिए मान्यता और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए , इसलिए, ग्राम सभाओं को यह शक्ति दी गई है कि वे उनके दावों का निपटारा कर उनके अधिकारों को बहाल करें ।

ख) धारा 4(5) कहती है कि वन निवासियों (अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरागत वन निवासियों) को तबतक वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता जबतक उनके अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया चल रही हो और उनके हक़ों को पूर्ण स्वीकृति नहीं मिल जाती । यह कानूनी प्रावधान हमें याद दिलाता है कि वन निवासियों को उनके क़ब्ज़े की वन भूमि से बेदख़ल नहीं किया जा सकता, जबतक कि वन अधिकार क़ानून, 2006 और वन अधिकार नियमावली, 2008 के तहत उनके अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती ।

ग) धारा 5 कहती है कि अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरागत वन निवासी समुदायों और ग्राम सभा को अधिकार है कि वे वन्यजीवों, वन और जैवविविधता की रक्षा करें । उनका दायित्व है कि वे पड़ोस के आगम क्षेत्र (Adjoining catchment area), जलस्रोतों और पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील इलाक़ों की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करें । उन्हें यह भी शक्ति प्राप्त है कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों की बसाहटों ;या रहबास (habitat) को हर तरह के नुकसानदेह प्रचलनों से बचाएँ , जो उनकी सांस्कृतिक और कुदरती विरासत को प्रभावित करती हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि, ग्राम सभा के निर्णयों को सख़्ती से लागू करवाया जाए । ग्राम सभाएँ अपनी बैठकों में ऐसे फ़ैसले ले सकती हैं जिनसे सामुदायिक जंगल संसाधनों तक पहुँच को नियमित किया जा सके और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो वन्य प्राणियों, जंगल और जैवविविधता पर उल्टा असर डालते हैं ।

इसलिए, भूमि को किसी और काम के लिए देने के पहले ग्राम सभा की अनुमति लेना ज़रूरी है, इसके बिना उसपर किसी और काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती । ग्राम सभा ही इस मामले में अंतिम प्राधिकार (authority) है जो वन, उसकी ज़मीन और सामुदायिक वन संसाधनों पर असर डालनेवाली गतिविधियों पर कोई फ़ैसला ले सकती है ।

घ) स्वतंत्र, सुविज्ञ, पूर्वानुमति (Free, Prior, Informed Consent): वन भूमि को ग्राम सभा की स्वतंत्र, सुविज्ञ और पुर्वानुमति हासिल किए बग़ैर किसी और काम के लिए नहीं दिया जा सकता। नियमगिरी मुकदमे[1] में फ़ैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब वन अधिकारों को मान्यता मिल जाए और उनपर क़ब्ज़े की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो तो ग्राम सभा भूमि के किसी और काम के लिए इस्तेमाल के किसी मसले पर विचार कर सकती है बशर्ते वह मीटिंग ख़ासकर उसी मुद्दे पर बुलाई गई हो ।

वृक्षारेपण कार्यों के लिए वन विभाग को भी ग्राम सभा की मंज़ूरी लेना ज़रूरी है क्योंकि वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सामुदायिक जंगलों और संसाधनों पर स्वशासन का हक़ है । इस प्रक्रिया में वन अधिकार क़ानून ग्राम सभा की मंज़ूरी को अनिवार्य बनाता है ।

3. अधिकारों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के लिए वन अधिकार अधनियम के तहत सज़ा के प्रावधान

क) धारा 7 कहती है कि अगर कोई "प्राधिकार (authority), या कमिटी या अफ़सर या ऐसे प्राधिकार (authority) या कमिटी का सदस्य" वन अधिकार अधिनियम, 2006 या वन अधिकार नियमावली, 2008 के "किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है" तो उसे वन अधिकार क़ानून के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा, उसके ख़िलाफ़ तफ़्तीश की जा सकती है और उसपर एक हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

[1] Orrisa Mining Corporation vs. Ministry of Environment and Forests & Ors. (2013) 6 SCC 476

ख) धारा 8 कहती है कि यदि ग्राम सभा ग़लती करनेवाले प्राधिकार (authority) के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करे, राज्यस्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) को कम-से-कम 60 दिनों की नोटिस दे और एसएलएमसी उस प्राधिकार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती और मामले की तफ़्तीश नहीं करवाती तो कोई भी अदालत वन अधिकार क़ानून, 2006 के तहत किए गए किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है ।

ग) नियम 10 (घ) कहता है कि वन अधिकार क़ानून की धारा 8 के तहत नोटिस मिलने के बाद एसएलएमसी का यह दायित्व बन जाता है कि वह वन अधिकार क़ानून के अंतर्गत संबद्ध अधिकारियों के ख़िलाफ़ समुचित कार्रवाई करे ।

ख. पेसा शासित पाँचवीं अनुसूची के इलाक़ों में ग्राम सभाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान

1. पेसा [पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996] वनों और उनके संसाधनों के नियंत्रण, प्रबंधन और शासन की शक्ति स्थानीय जनजातीय समुदायों के हाथ में देती है । इसके साथ ही पेसा का मकसद है आदिवासी समुदायों के भीतर ग़रीबी, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और पलायन को कम करना । इसके लिए वह कुदरती संसाधनों पर उनका बेहतर नियंत्रण और प्रबंधन क़ायम करना चाहती है, ताकि उनकी आजीविका और जीवनस्तर में सुधार हो । उतना ही महत्त्वपूर्ण इस बात को स्वीकार करना है कि आदिवासी समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भूमि और वन संसाधनों से उनके जुड़ाव का अभिन्न अंग हैं ।

2. पेसा की धारा 4(घ) कहती है कि ग्राम सभा के पास अन्य चीज़ों के साथ-साथ सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करने की शक्ति है। इसके अलावा, ग्राम सभा के पास लघु जल निकायों (धारा 4(ञ)), लघु वनोपजों (धारा 4 (ड) (ii)) और संसाधनों (धारा 4 (ड) (vii)) को नियंत्रित करने, उनके संबंध में योजना बनाने और उनका प्रबंध करने की भी शक्ति है) ।

3. **पाँचवीं अनुसूची के इलाक़ों** में ज़रूरी है कि वन अधिकार क़ानून और पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों और दायित्वों के प्रावधानों को इन क़ानूनों के असली अमल के आलोक में देखा जाए । इससे जनतंत्र का असल में विकेंद्रीकरण होगा और आदिवासी समुदायों को ज़्यादा स्वायत्तता मिलेगी, जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासी समुदायों की लंबे समय से माँग रही है ।

पेसा के इन प्रावधानों को वन अधिकार क़ानून के ऊपर वर्णित प्रावधानों के आलोक में देखने पर स्पष्ट है कि, वनों और वन संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और सुरक्षा अभिन्न रूप से आदिवासियों और वन निवासी समुदायों की स्वायत्तता (autonomy) और स्वशासन (self-rule) के हक़ से जुड़ी है । यह भी बेहद महत्त्वपूर्ण है कि वन, वन संसाधन, वन्यजीव और वन निवासी सभी मिलकर एक साझा एकात्म बनाते हैं । इससे कोई भी भटकाव वन निवासियों के लिए मुश्किलों और वनों की तबाही का सबब बन जाएगा ।

ग. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989

1. **धारा 3(1)** वन निवासियों को उनकी ज़मीन या घरबार से बेदख़ल करने, उन्हें किसी ज़मीन पर उनके वन अधिकारों समेत अपने अधिकारों के उपभोग से वंचित करने, फ़सल की बरबादी और अपनी उपज से उन्हें वंचित किए जाने को ऐसा अपराधिक कृत्य मानती है, जो संज्ञानयोग्य (cognizable) और ग़ैर-ज़मानती (non-bailable) अपराध है । ऐसे मामले में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) का कोई प्रावधान नहीं है ।

3. इस क़ानून के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए राज्य पदाधिकारियों को पीड़ित शख़्स को नकदी मुआवजा देना होगा, जिसका भुगतान किश्तों में किया जाएगा, जैसा कि क़ानून में दिया गया है । उदाहरण के लिए , प्राथमिकी दर्ज होने के फौरन बाद अपराध पीड़ित शख़्स को मुआवजे के 25 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा ।

4. अगर इस क़ानून के तहत अपराध किसी लोक सेवक ने किया हो, तो उसे पेशागत दुर्व्यवहार (professional misconduct) भी माना जाएगा। इसके लिए उसके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) की जाएगी, उसे मुअत्तल (suspend) किया जा सकता है, सेवा से बरख़ास्त (dismissal) किया जा सकता है, या ऐसी ही कोई और सज़ा दी जा सकती है । इसपर विस्तार से चर्चा के लिए गायत्री रघुनंदन लिखित पुस्तिका "यूज़ ऑफ़ द प्रीवेंसन ऑफ़ एट्रोसिटीज़ एक्ट टू एडवांस राईट्स : ए हैंडबुक" देखें, जो वेबसाइट https://www.fra.org.in/ document/PoA_FRA_2019.pdf पर उपलब्ध है ।

****

अनुलग्नक IV

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सलाह

याचिका / प्रस्ताव की प्रतिलिपि बनाने के बारे में सलाह :

• अगर ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव को चिट्ठी भेज रही हो तो याचिका / प्रस्ताव की प्रतिलिपि ज़िला कलक्टर / पीए-आईटीडीए को भी भेजी जानी चाहिए ।
• अगर ग्राम सभा का पत्र जनजाति कार्य मंत्रालय (मोटा) को संबोधित हो तो याचिका / प्रस्ताव की प्रतिलिपि उस राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजी जानी चाहिए ।

जेहन में रखनेवाली चंद महत्त्वपूर्ण बातें :

1) प्रस्ताव को पहले ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसे इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।
2) प्रस्ताव पर उसकी संख्या , प्रस्ताव की तारीख़ और उसका स्थान प्रस्ताव के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर दर्ज होना चाहिए ।
3) ग्राम सभा के कोरम, हाज़िर महिला सदस्यों की संख्या ख़ास तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए ।
4) ग्राम सभा की बैठक और प्रस्ताव के विषय का विशेष तौर पर साफ़-साफ़ ज़िक्र होना चाहिए ।
5) ग्राम सभा में लिए गए फ़ैसले या अनुशंसाओं (recommendations) का साफ़-साफ़ उल्लेख होना चाहिए ।

6) किसी प्राधिकार (authority) से की गई माँग या पूछे गए सवाल का साफ़-साफ़ ज़िक्र होना चाहिए ।

7) ग्राम सभा के प्रस्ताव को सभी हाज़िर सदस्यों के सामने सस्वर पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और तब उनका वोट लेना चाहिए ।

8) ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान इस घोषणा या प्रस्ताव पर उनके नाम के सामने स्पष्टतया दर्ज होना चाहिए ।

9) कवरिंग (covering) पत्र और प्रस्ताव को संबद्ध प्राधिकारी (concerned authority) को रजिस्टर्ड डाक से ही भेजा जाना चाहिए और उसकी रसीद को ग्राम सभा के रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में उसपर कार्रवाई की जा सके । यह बेहद ज़रूरी है । अगर आपके गाँव में पोस्टल सेवा बहाल नहीं हुई है तो कवरिंग (covering) पत्र और प्रस्ताव को कुरियर से भेजें या निकट के किसी गाँव / शहर की पोस्टल सेवा का उपयोग करें जहाँ वह बहाल हो चुकी हो ।

****

लीगल रिसोर्स सेंटर (LRC) के बारे में

लीगल रिसोर्स सेंटर (LRC) क़ानूनी ज्ञान में बढ़ोतरी, क्षमता विकास और भारत में आदिवासियों के अधिकारों के लिए रणनीति को मज़बूती देनेवाला संसाधन केंद्र है । इसके लिए वह क़ानून के प्रति बहुआयामी (multi-proned) और बहु-अनुशासन (inter-disciplinary) दृष्टिकोण अपनाता है । उसके काम में अकादमिक (academic) और कार्यवाही-उन्मुखी शोध (action oriented research), मुकदमे में सहायता, क्षमता विकास (capacity building), ज्ञान सृजन (knowledge production) और क़ानून विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों का विकास शामिल है । लीगल रिसोर्स सेंटर मज़बूती से क़ानूनी पेशा और सामाजिक आंदोलनों के मेल की पृष्ठभूमि पर आधारित है । लीगल रिसोर्स सेंटर के क्रियाकलाप और हस्तक्षेप संवैधानिक विधि (Constitutional Law), जंगल और ज़मीन से संबंधित क़ानून, पर्यावरण संबंधी क़ानून, अपराधिक क़ानून, मानवाधिकार आदि पर केंद्रित हैं ।

शिक्षाशास्त्री वकीलों और कार्यकर्ताओं को सैद्धांतिक कल्पनाशीलता (theoretical imagination) से लैस कर सकते हैं, पर उन्हें उन सिद्धांतों को राजनीतिक और व्यावहारिक स्तर अमल में लाना होता है । क्रटिकल लायरिंग (critical lawyering) सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय मददगार होती है और रोज़मर्रा की वकालत (जो ख़ास तौर पर रोज़मर्रा के क़ानूनी तौर-तरीक़ों के दायरे में बँधी हो) सामाजिक आंदोलनों से प्रेरणा लेती है , जिससे क़ानून-व्यवस्था को हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षित बनाया जाए । लीगल रिसोर्स सेंटर में सामाजिक-क़ानूनी समुदायों के इन तीनों पक्षों में मेल कायम करने को किसी सर्वांगीण राजनीतिक सुधार के लिए ज़रूरी माना जाता है और इसे हरेक प्रोजेक्ट में अमल में लाया जाता है । लीगल रिसोर्स सेंटर ने औपचारिक रूप से जब जुलाई 2017 में काम शुरू किया, उसने एक ऐसी ही जगह बनाने की कोशिश की और वकीलों, अकादमिकों (academics) और कार्यकर्ताओं (activists) को एक साथ लाया।

वे सभी सामान्यतया हाशिए पर बसे समुदायों, और ख़ासकर आदिवासी और जंगलवासी समुदायों को सामाजिक न्याय दिलाने के प्रति समर्पित हैं ।
व्यावहारिक रूप से हम नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में वाकलत करनेवाले एक वकील के दफ़्तर में अवस्थित हैं । हालाँकि लीगल रिसोर्स सेंटर उन लोगों के मन में भी अवस्थित है, जो उसमें काम करते हैं या उससे जुड़े हैं । इसलिए उसकी पहुँच ओडिशा में भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश में जबलपुर-जैसे विभिन्न राज्यों तक फैली है । उसके संपर्क बंगलुरु और पटना में भी हैं । अगले कुछ महीनों उसका विस्तार और संपर्क और मज़बूत हो जाएगा और वह नए इलाकों तक अपनी पहुँच बना लेगी ।

LRC क्या करता है?

क) विकसित होते क़ानूनों और फैसलों से उपजती परिपाटियों (precedent) की निगरानी (monitoring)

लीगल रिसोर्स सेंटर विभिन्न संवैधानिक अदालतों और न्यायाधिकरणों (tribunals) की निगरानी करता है, जहाँ आदिवासियों के अधिकारों और वन अधिकार के मामले सुने जाते हैं । इस प्रकार, वह ऐसी जानकारियाँ जमा करता है, जिनका जब ज़रूरत पड़े, उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है । वन अधिकार क़ानून को लेकर एक नया न्यायशास्त्र (jurisprudence) विकसित हो रहा है । उसपर ख़ास तौर पर क़रीबी नज़र रखी जा रही है । जहाँ अहम विकास हो रहे हैं / अपेक्षित हैं, वहाँ उन मुद्दों पर काम करनेवाले सामाजिक आंदोलनों को समय पर आगाह करने की कोशिश की जाती है । लीगल रिसोर्स सेंटर न्याय प्रणाली पर भीतरी नज़र रखने के समानांतर, उसके नैसर्गिक सहायक (natural corollary) के तौर पर, गाइडलाइनों और कार्यकारी निर्देशों के रूप में क़ानूनों में विधायिका के स्तर पर हो रहे बदलावों या प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की भी निगरानी करता है ।

ख) ज़िला और उच्च न्यायालयों के वकीलों का क्षमता विकास (capacity building)

लीगल रिसोर्स सेंटर क्षमता का विकास करके और वकीलों और क़ानूनी रूप से दक्ष कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करके वन अधिकार के तहत लोगों के लिए न्याय तक पहुँच को प्रोत्साहित करता है । इस नेटवर्क से जुड़े वकील और कार्यकर्ता क़ानून के तहत तय अधिकारों के हनन के मामलों में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं । 2006 से लेकर अब तक वन अधिकार क़ानून के तहत मुकदमों की सुनवाई और फैसलों का समृद्ध भंडार दिखलाता है कि क़ानून में तय अधिकारों का लोग लगातार दावा करते हैं और रचनात्मक रूप से अधिकारों की व्याख्या करते हैं । प्रशासन के साथ-साथ अर्ध-स्वायत्त निकायों (semi-autonomous bodies) के भीतर रणनीतिक हस्तक्षेपों के नए दायरों का मतलब है ज़िलों में वकीलों को और बड़ी भूमिका अदा करनी होगी, जहाँ इनमें से कई आधिकारिक निकाय (official bodies) स्थित हैं । इसके साथ ही यह देखते हुए कि हाशिए के समुदायों के अधिकारों को हासिल करने में बहुत-सारे संरचनात्मक व्यवधान हैं, यह ज़रूरी है कि अपील अदालतों / प्राधिकरणों (authorities) के समक्ष भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहा जाए । इसलिए ज़िला स्तर पर वकीलों और क़ानूनी रूप से दक्ष कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना LRC का एक प्रमुख काम बन जाता है ।

- **प्रशिक्षण संसाधन (Training Resources)** : लीगल रिसोर्स सेंटर के वकील और शोधकर्ता समय-समय पर अन्य संस्थानों और संगठनों (ग्रासरूट संगठनों, क़ानून विश्वविद्यालयों, आदिवासी शोध संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों) के लिए विशिष्ट मुद्दों पर प्रशिक्षकों (resource persons) की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार रहते हैं ।

• **पाठ्यक्रम का विकास :** लीगल रिसोर्स सेंटर का एक अहम दीर्घकालीन लक्ष्य है विश्वविद्यालयों, विधि विद्यालयों और क़ानून प्रशिक्षण संस्थानों को क़ानून और आदिवासियों और जंगल निवासियों के अधिकारों के इर्द-गिर्द व्यवहार से संबंधित पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराना । इस उद्देश्य से लीगल रिसोर्स सेंटर प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर स्नातक स्तर पर संवैधानिक विधि (Constitutional Law), संपत्ति क़ानून, दीवानी क़ानून, अपराधिक क़ानून, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और टोट्से(torts) संबंधी क़ानून-जैसे कई विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने की कोशिश की है । इन पाठ्यक्रमों ने काफ़ी उत्साह और रुचि पैदा की है ।

ग) शोध, डॉक्यूमेंटेशन और विश्लेषण

लीगल रिसोर्स सेंटर क़ानूनी शोध, विश्लेषण और अकादमिक वे सैद्धांतिक प्रयासों में मदद करता रहा है । ऐसा आलेखों, किताबों, अध्यायों, क़ानूनी याचिकाओं और आईईसी प्रकाशनों के ज़रिए किया जाता है। विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री को तैयार करना लीगल रिसोर्स सेंटर का काम है और उसे अलग-अलग लक्षित समूहों के लिए तैयार किया जाता है।

घ) एडवोकेसी, क़ानूनी सुधार, मुकदमेबाजी और क़ानूनी हस्तक्षेप (Legal Intervention)

लीगल रिसोर्स सेंटर तरह-तरह के ग्रासरूट संगठनों को, ज़िला स्तर के वकीलों को, कार्यकर्ताओं को और अन्य संबंधित व्यक्तियों को क़ानूनी सलाह देता है, रणनीति तैयार करने मदद करता है और शोध में सहायता करता है । लीगल रिसोर्स सेंटर याचिकाएँ तैयार करने में भी मदद करता है ताकि अदालती रिकॉर्ड तैयार हो सकें जो वक़्ती (short-term) के साथ-साथ दीर्घकालीन (long-term) स्तर पर लाभदायक हों ।

चूँकि लीगल रिसोर्स सेंटर के साथ वकील और गैर-वकील, दोनों तरह के लोग जुड़े हैं, इसलिए दी जानेवाली सलाह ठोस क़ानूनी सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी होती हैं और उनमें तफ़सील का ख़ास ख़याल रखा जाता है । प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम (CAMPA) और उसके तहत नियमावली बनाने का मसला हो, प्रस्तावित वन नीति, 2018 (Draft Forest Policy, 2018) का मसला हो, लैंड बैंक (Land Bank) बनाने का मसला हो या 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून (LARR) में संशोधन का मसला हो, लीगल रिसोर्स सेंटर सतत एडवोकेशी के मारफ़त हमेशा सक्रिय रहा और इस मुद्दे पर एडवोकेशी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को व्यापक जानकारियाँ, दस्तावेज़ और विश्लेषण उपलब्ध कराता रहा है ।

लीगल रिसोर्स सेंटर की दिशा क्या है?

आगामी महीनों में लीगल रिसोर्स सेंटर एक परामर्शदात्री निकाय के गठन की दिशा में पहला क़दम उठानेवाला है, जो मार्गदर्शन करेगा और दिशा को दुरुस्त करेगा और सबसे ऊपर क़ानून और प्रक्रिया में होनेवाले बदलावों पर शीघ्र प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करेगा । ऐसा सुदृढ़ीकरण उतार-चढ़ाव के समय लीगल रिसोर्स सेंटर में भटकाव को रोकेगा, जो क़ानूनी हस्तक्षेपों के दौरान अक्सर होता है । वह एक तरफ़, उसकी उपलब्धियों को जाया नहीं जाने देगा और दूसरी तरफ़, लाज़िम असफलताओं से हताश नहीं होने देगा ।

हमारा संपर्क

दिल्ली
शोमोना खन्ना (+91-11-40527175; +91-9873665288)
lrc.alterlaw@gmail.com,
legalresourcecentre@protonmail.com
राधिका चितकारा (+91-9873310630)
rchitkara@llm17.law.harvard.edu
पूजा (+91-6202157299)
pjpj2606@gmail.com
खुशबू पारीक (+91-7976848019)
khushbooprk@gmail.com

भुवनेश्वर
तुषार दास (+91-7008507779)
tushardash01@gmail.com
संघमित्रा दुबे (+91-8763382452)
sanghamitradubeyikk@gmail.com

जबलपुर
राहुल श्रीवास्तव (+91-8435452768)
rahul.samvad26@gmail.com
राघवेंद्र कुमार (+91-9425301744)
advocateraghvendra@yahoo.com

बंगलुरु
आस्था सक्सेना (+91-9502321258)
saxenastha@gmail.com

वसुंधरा के बारे में

वसुंधरा, ओडिशा एक शोध और नीति एडवोकेसी समूह है, जो कुदरती संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और टिकाऊ आजीविका के मुद्दों पर काम करता है । सन् 1991 में गठित वसुंधरा को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 1992 में पंजीकृत किया गया । हमने ओडिशा राज्य में सामुदायिक जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन का काम करनेवाले स्वनिर्मित सामुदायिक वनीकरण (self-initiated community forestry group) समूहों को सहयोग देने और मज़बूत बनाने के काम से शुरुआत की । हम लगातार इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि ग्रामीण आजीविका को टिकाऊ बनाने में जंगल निर्णायक भूमिका अदा करते हैं । हमारा ज़ोर इस बात पर रहा है कि जंगलों पर आश्रित समुदायों, ख़ासकर औरतों की आजीविका में जंगल जिस तरह की भूमिका निभाते हैं, वह सरकारी नीतियों में परिलक्षित हो और ऐसा माहौल बने, जिसमें जंगलों के प्राथमिक स्वामी और उपयोगकर्ता आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनें ताकि वे अपनी ज़िंदगी और आजीविका के ऊपर विशिष्ट नियंत्रण रख सकें ।

पिछले कई सालों में समुदायों के बीच हमारा काम फैला है और आदिवासियों और जंगल पर आश्रित समुदायों के सामुदायिक वन अधिकारों पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जैसा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार क़ानून में प्रावधान किया गया है । हमने सामुदायिक प्रयासों से आबोहवा परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों को दूर करने और उनसे तालमेल बिठाने पर ज़ोर दिया है ।

वसुंधरा क्या काम करती है?

मिशन

हमारा मकसद है सतत विकास (sustainable development) को बढ़ावा देना । इसमें हम गाँव के ग़रीबों के सशक्तिकरण पर ज़ोर देते हैं ताकि सामाजिक न्याय और समता के मूल्यों को प्रोत्साहित किया जा सके।

मूलभूत मूल्य

- संरक्षण
- सतत (sustainable)
- कुदरती संसाधनों के प्रबंध का जनतंत्रीकरण
- सामाजिक न्याय और समता
- ग़रीबों की आवाज़ों का समावेश
- हाशिए के समूहों की राजनीतिक भागीदारी
- हमारे सभी कामों का केंद्र औरतों के अधिकार होने चाहिए ।

भूमिका

हम अपने आपको कुदरती संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन में सहयोग करनेवाला और उसके लिए समुचित माहौल का सृजन करनेवाला प्रक्रिया सुविधा प्रदायक (facilitators) और उत्प्रेरक (catalyst) समझते हैं । स्थानीय स्तर पर क्षमताओं के विकास में हमारी भूमिका उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, ताकि कुदरती संसाधनों के प्रबंधन का जनतंत्रीकरण किया जा सके और उसे टिकाऊ बनाया जा सके और सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

वसुंधरा की दिशा क्या है?

नेटवर्किंग, एक-दूसरे से सीखना और फीडबैक का सुदृढ़ ढाँचा खड़ा करना, एक ज़्यादा न्यायपूर्ण और जनतांत्रिक समाज के निर्माण के काम में लगे लोगों की क्षमता के विकास के लिए निहायत ही ज़रूरी है । इस बात को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा अलग-अलग क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों और हस्तक्षेप को सुदृढ़ करता जा रहा है । इनमें वह विभिन्न सक्रिय लोगों के बीच विभिन्न स्तर पर सहकारी रूप से सीखने (collaborative learning) पर ज़ोर देता है । एक सचेत पेशेवर के रूप में हम सीखना पसंद करते हैं, ताकि अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में ज़्यादा सीधी मदद कर सकें । हम सीखने, सोचने और अन्य सिविल सोसायटी सक्रिय समूहों के बीच आलोचना-प्रत्यालोचना में बड़ी भूमिका निभाने की भी चेष्टा करते हैं।

हमारा संपर्क

वसुंधरा
प्लॉट नं. 1731/सी, दास महापात्र कंप्लेक्स, पोस्ट – केआईआईटी कैंपस
भुवनेश्वर – 751024
ओडिशा
ईमेल : vasundharanr@vasundharaorissa.org
वेबसाइट : www.vasundharorissa.org | www.fra.org.in

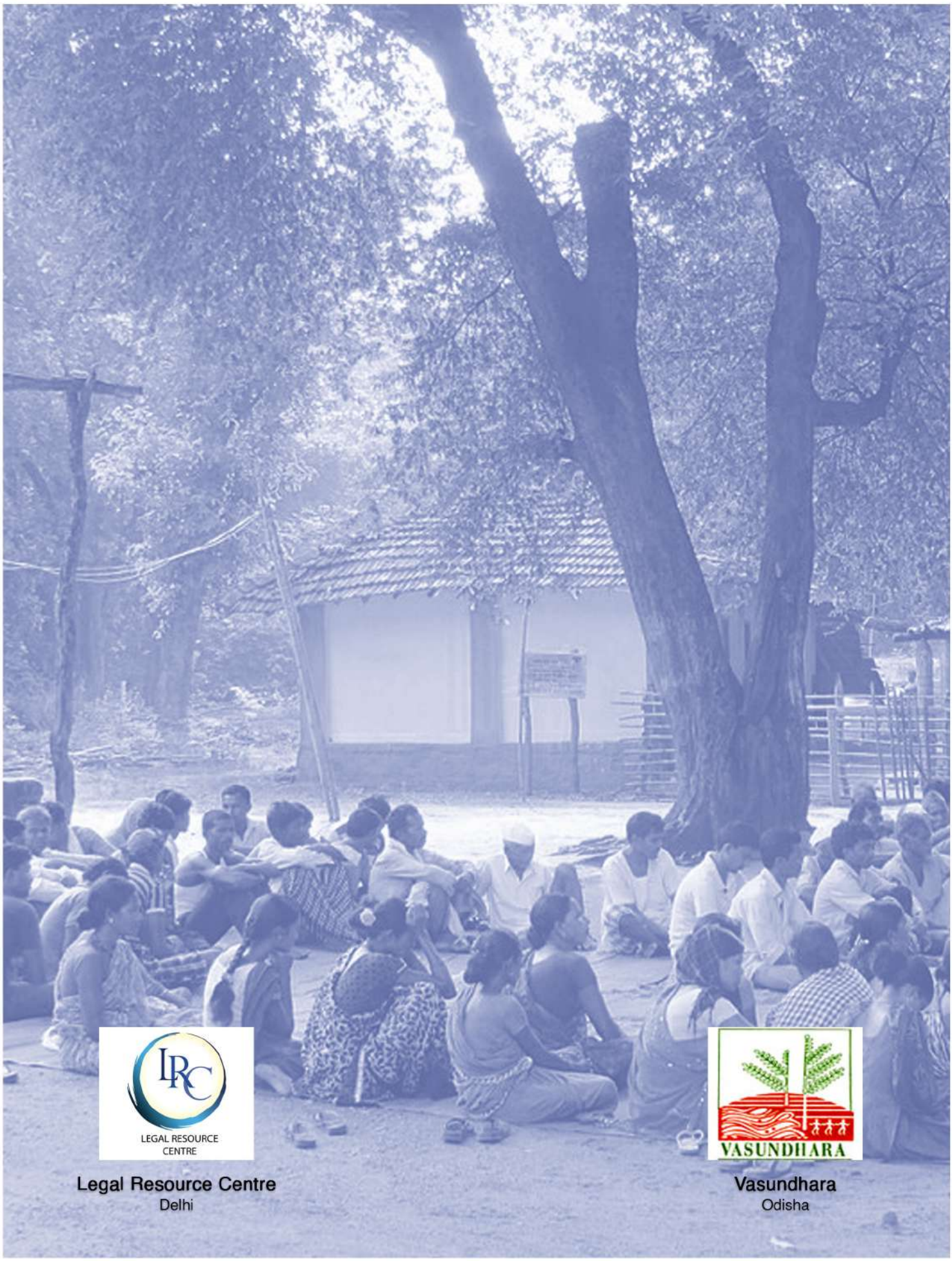

Legal Resource Centre
Delhi

Vasundhara
Odisha